फर्द अहकाम
अज अदालत संभागीय आयुक्त जोधपुर

मैसर्स मंगलदास नारायणदास बनाम जिला रसद अधिकारी, पाली

किस्म मुकदमा Raj Foodgrains & other Essential Articles (Regulation of Distribution) Order, 1976

विविध प्रकरण संख्या 01/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10–06–2025	पत्रावली पेश हुई अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपील प्रकरण का एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (रसद) पाली के द्वारा प्रकरण संख्या 42/2022 अनवान मैसर्स मंगलदास नारायणदास बनाम जिला रसद अधिकारी पाली में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2024 का अवलोकन किया गया। उक्त अपील Raj Foodgrains & other Essential Articles (Regulation of Distribution) Order, 1976 की धारा 22 (B) के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है। **धारा 22 (B) जो निम्न प्रकार से हैः—** If the order is made by the Collector, appeal to the Commissioner. उक्त धारा के अनुसार क्र0सं0 2 (H) में आयुक्त की परिभाषा Commissioner" means the Food Commissioner and includes Additional Food Commissioner, Deputy Food Commissioner of the Food & Civil Supplies Department; इस प्रकार अतिरिक्त जिला कलेक्टर (रसद), पाली के द्वारा उक्त नियम के तहत पारित आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाली अपीलों पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को प्रदान किये गये है न कि सम्भागीय आयुक्त को। ऐसे में उक्त प्रस्तुत पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार सम्भागीय आयुक्त को नहीं होने से उक्त अपील सक्षम अपीलीय अधिकारी (आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग) के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्ट को लौटाई जाती है। पत्रावली बाद निस्तारण नम्बर से कम की जावे तथा अधीनस्थ कार्यालय का मूल रेकर्ड लौटाया जावें। सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर	

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर